उत्तर प्रदेश शासन

नियोजन अनुभाग-4

संख्या :214/2019/1204/35-4-2019

दिनांक : लखनऊ :25 अप्रैल, 2019

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

भारत सरकार ने सम्पूर्ण देश में सातवीं आर्थिक गणना-2019 कराने का निर्णय लिया है। इस गणना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आने वाले समस्त उद्यमों (लोक प्रशासन, रक्षा और अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की गतिविधियों को छोड़कर) के सम्बन्ध में आधारभूत ऑकड़ा भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार संग्रह किये जाने हैं। यह एक वृहद कार्य है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न विभागों के सहयोग की आवश्यकता है। जनपदों में इस कार्य को भारत सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिलाधिकारी का होगा।

2- जिला स्तर पर सातवीं आर्थिक गणना के कार्य को ससमय व सुचारू रूप से सम्पादित कराने की दृष्टि से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में **"जिला स्तरीय समन्वय समिति"** (DLCC) का गठन निम्न प्रकार किया जाता है :-

1-	जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष
2-	मुख्य विकास अधिकारी	-	सदस्य
3-	अपर जिला अधिकारी (प्र0/वि0रा0)	-	सदस्य
4-	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	-	सदस्य
5-	उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र	-	सदस्य
6-	जिला पंचायत राज अधिकारी	-	सदस्य
7-	सहायक श्रमायुक्त	-	सदस्य
8-	जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी	-	सदस्य
9-	जिला सूचना अधिकारी	-	सदस्य
10-	सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता	-	सदस्य
11-	अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा	-	सदस्य
12-	जिला समन्वयक, सामान्य सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.)	-	सदस्य
13-	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	-	सदस्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समिति के कृत्य

1- जनपद में सातवीं आर्थिक गणना सम्बन्धी तैयारी, प्रगति एवं संचालन में आने वाली बाधाओं का नियमित रूप से अनुश्रवण।

2- राज्य स्तरीय समन्वय समिति को फी□बैक उपलब्ध कराना, जिससे कि समिति जनपद स्तर पर अपनी भूमिका एवं कार्यों का निष्पादन प्रभावी ढंग से कर सके।

3- आर्थिक गणना के सुचारू संचालन में सी.एस.सी. तथा एस.पी.वी. के सहयोग के लिए स्थानीय प्रशासन एवं पंचायत/वार्□ स्तर पर स्थानीय सरकारी अधिकारियों को जागरूक एवं निर्देशित करना।

4- आर्थिक गणना के क्षेत्रीय कार्य के लिए वार्□ों/गांवों की प्रशासनिक इकाई के सहयोग की उपलब्धता को सुगम करना।

5- राज्य स्तरीय समन्वय समिति को नियमित फी□बैक उपलब्ध कराना।

6- आर्थिक गणना के जिला स्तरीय अनन्तिम परिणामों को अनुमोदित और प्रसारित करना।

अनूप चन्द्र पाण्□ेय
मुख्य सचिव।

पत्रांक :214/2019/1204(1)/35-4-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त मण□लायुक्त, उ0प्र0।
3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
5- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8- समस्त अपर जिला अधिकारी (प्र0/वि0रा0), उ0प्र0।
9- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
10- समस्त उपायुक्त उद्योग/जिला पंचायत राज अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त/ जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी/सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता/अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा/ जिला समन्वयक, सामान्य सेवाकेन्द्र, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11- निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उ0प्र0।

12- समस्त उप निदेशक/अर्थ एवं संख्याधिकारी, उ0प्र0।

13- महानिदेशक (ई0एस0), केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशा0 पत्रांक-P-11012/5/2018/ESD दिनांक 07.03.2019 के संदर्भ में

(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।